उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

6.7.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी के बहस के दौरान बताया गया कि वादपत्र में वर्णित आ०नं० 113 रकबा 03 बिस्वा भूमि को 2001/- रुपये में दिनांक 18-5-1977 को विक्रय पत्र लिखा गया जिसका पंजीयन दिनांक 23-5-1977 को केशुराम पिता लालु कीर द्वारा वादि ख्यालीलाल पिता हमेरा कीर निवासी कीरों का खेडा के पक्ष लिखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2022.08.23 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

श्रीवर्धन प्रिंटर्स, डूंगला-9413403527

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला

खयालीलाल बनाम केसूराम वगैरह बागरिया

किस्म मुकदमा वादपत्र 88, 188 नं. 6 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर वादी को क्रय भूमि का कब्जा दिया गया है। तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। तथा वादी ही इसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि का इंतकाल नहीं खुलने से क्रय की गई भूमि विक्रेता की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के नाम पर दर्ज हो गई है। जिसका राजस्व रेकार्ड से नाम विलोपित करते वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वकील वादी की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन-परीक्षण किया गया तो पाया गया कि वादी खयालीलाल द्वारा दिनांक 23.5.1977 को रजिस्टर्ड दस्तावेज से आराजी नम्बर 993 रकबा 3 बिस्वा भूमि क्रय की गई है जिसका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं होने से विक्रेता केसूराम की मृत्यु हो जाने से क्रय की गई भूमि इनके वारिसान के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। इस कारण वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित होने से ग्राम आलोद की आराजी नम्बर 993 रकबा 3 बिस्वा भूमि का वादी खयालीलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वादी के उपभोग उपयोग की भूमि दखलअन्दाजी नहीं करे [illegible] नहीं करे। इस हेतु निर्णय एवं डिक्री फर्द अलग से [illegible] कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] हुक्म हो।	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2022.08.23 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner